प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 19.05.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. **नशीली गोलियो के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना मझोलाः-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थो के निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2024 की रात्रि में उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी मोनू कश्यप पुत्र अशोक कश्यप नि0 विकास नगर थाना मझोला जिला मुरादाबाद को अवैध 240 नशीली गोलिया एल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0-439/2024 धारा-8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

2. अवैध चाकू के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना मझोला:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्र निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2024 की रात्रि में उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी राजाराम पुत्र नन्दराम नि0 कुन्दनपुर लाईनपार थाना मझोला जिला मुरादाबाद को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मझोला पर मु0अ0सं0- 440/2024 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना मझोला:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.05.2024 को वादिनी निवासनी थाना मझोला क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी विपिन सैनी पुत्र स्व० वीरसिंह सैनी नि० मौ० वाल्मीकि वस्ती लाइनपार थाना मझोला, मुरादाबाद के द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गाली-गलौच तथा जान करने की धमकी देने के संबंध में थाना मझोला पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0- 433/2024 धारा 376/323/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 19.05.2024 को थाना मझोला पुलिस द्वारा आरोपी विपिन उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

4. जनपदीय पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के 12 आरोपियो को किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.05.2024 को **थाना पाकबड़ा पुलिस** द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग कर रहे आरोपीगण 1. इमरान पुत्र हनीफ 2. फरमान पुत्र हनीफ निवासीगण मौहल्ला शनिवार का बाजार कस्बा व थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद 3. मौज्जम पुत्र जाहिद खान निवासी पुराने थाने के पीछे कस्बा व थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद 4. विशाल कुमार पुत्र मदनसिंह निवासी समाथल हाशमपुर चौराहा के पास थाना पाकबडा जिला मुरादाबाद 5.अफजाल पुत्र अवरार हुसैन निवासी कैलशा रोड नई दिल्ली कस्बा व थाना पाकबडा जिला मुरादाबाद को **थाना भगतपुर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1 . छोटे पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम निवाड़खास थाना भगतपुर मुरादाबाद 2. रामवीर पुत्र भूखन सिंह निवासी ग्राम निवाड़खास थाना भगतपुर मुरादाबाद को **थाना कटघर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1.अरविन्द पुत्र स्व0 चन्द्रसेन निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 2.मुकेश पुत्र छेदन लाल सैनी निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 3.सचिन पुत्र स्व0 चन्द्रसेन निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 4. फरहान पुत्र खुर्शीद निवासी कोतवाली के सामने मुंडो वाली गली थाना कोतवाली मुरादाबाद जिला मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं शान्तिव्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 151/107/116 Cr.P.C में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

5. हाथ पकड़कर घर के अन्दर ले जाने तथा छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार थाना सोनकपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.05.2024 को वादी निवासी थाना सोनकपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री का हाथ पकड़कर घर के अन्दर ले जाने तथा छेड़खानी करने के संबंध में थाना सोनकपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सोनकपुर पर मु0अ0सं0- 65/2024 धारा- 354क/341 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 19.05.2024 को थाना सोनकपुर पुलिस द्वारा आरोपी सुमित कुमार पुत्र उमेश कुमार सैनी निवासी ग्राम खाबरी गन्दू थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

6. थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत 01 व्यक्ति की हुई हत्या के प्रकरण का थाना कटघर पुलिस द्वारा अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ,अभियुक्तगण की निशांदेही पर मृतक के शव को किया गया बरामद ।

अवगत कराना है आज दिनांक 19.05.2024 को वादी श्री सन्तोष कुमार पुत्र भूरे सिंह निवासी सूरजनगर पीतलनगरी थाना कटघर,मुरादाबाद ने थाना आकर लिखित तहरीर, उसके बेटे विशाल यादव को कुछ लोगो द्वारा दिनांक 16.05.2024 को उसके घर से ले जाने तथा उसकी हत्या कर देने के संबंध में दी। तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 258/2024 धारा-147/148/149/302/201 भादवि बनाम 06 नामजद व एक अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद द्वारा प्रकरण की पूरी जानकारी कर घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु दिये निर्देशन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के पर्यवेक्षण एवं कुशल नेतृत्व में थाना कटघर पर टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 19.05.2024 को विवेचनात्मक कार्यवाही/साक्ष्यों के आधार पर विशाल यादव के दोस्त मोहित कुमार यादव पुत्र छवीपाल सिंह नि0 गागन तिराहा सम्भल रोड थाना कटघर जनपद मुरादाबाद तथा सचिन पासी पुत्र शशिकपूर नि0 सूरजनगर पीतलबस्ती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को हिरासत में लिया गया।

पुलिस द्वारा पूछताछ में मोहित उपरोक्त ने बताया कि विशाल यादव से मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी व उठना बैठना, घर-आना जाना था तथा अनिरुद्ध सिंह पुत्र विश प्रताप सिंह निवासी सूरजनगर पीतलबस्ती थाना कटघर ,मुरादाबाद से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। अनिरुद्ध सिंह , गोलू उर्फ कनिष्क पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी छोटी मंडी गुलाबबाडी थाना कटघर मुरादाबाद, अभिषेक उर्फ यश पुत्र सुनील निवासी पीतलनगरी थाना कटघर मुरादाबाद, अभिनव पुत्र सतवीर सिंह निवासी लंका बाग उत्सव मंडप के पास थाना कटघर मुरादाबाद आपस में बहुत पक्के दोस्त है। कुछ दिन पहले अनिरुद्ध सिंह , गोलू उर्फ कनिष्क पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी छोटी मंडी गुलाबबाडी थाना कटघर मुरादाबाद ने मुझसे कहां कि तू छोटू उर्फ विशाल यादव को हमारे पास लेकर आ जाये तो हम

तुझे रुपये देगें और मुझे अपने भाई की हत्या का बदला सुभाष यादव से लेना है । सुभाष अनिरूद्ध के भाई की हत्या के मुकदमे में जेल में है। सुभाष के पिता सुभाष की जमानत नही करा रहा है और मुझे अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लेना है। इसी योजना के तहत मैं अपने दूसरे दोस्त सचिन पासी पुत्र शशिकपूर नि0 सूरजनगर पीतलबस्ती थाना कटघर जनपद को साथ लेकर दिनांक 16.05.2024 की रात्रि में करीब 10 बजे विशाल यादव उर्फ छोटू को फोन किया। हम दोनो लोग विशाल यादव उर्फ छोटू को मोटर साईकिल नं0 UP21BJ0683 स्पलैन्डर पर बैठाकर डीयर पार्क से आगे रफातपुर वाले रोड पर ले गये। जहां पर अनिरुद्ध सिंह उपरोक्त, गोलू उर्फ कनिष्क, अभिषेक उर्फ यश, अभिनव उपरोक्त पहले से मौजूद मिले। तब हम लोगो अपनी मोटर साईकिल को चमरपुरा के जंगल में खेत में स्थित समाधी के पास ले गये। तभी पीछे से यह लोग भी आ गये तब विशाल यादव कुछ समझ पाता कि मैने , सचिन, अभिनव, अभिषेक उर्फ यश ने विशाल को पकड लिया था तथा अनिरुद्ध व गोलू उर्फ कनिष्क ने अपने अपने तमन्चे से विशाल यादव के सीने में सामने से एक-एक गोली मारी दी थी । विशाल यादव मौके पर ही मर गया था। तब हम लोगो ने खेत में पास में ही स्थित एक गड्डे में विशाल की लाश को डालकर गड्डे के आस-पास पडी मिट्टी को ऊपर से डालकर लाश को दबा दिया। और हम लोग मौके से भाग आये थे और इधर उधर छिपते-छिपाते घूम रहे थे । क्योकिं हम लोगो को पता चल ही गया था कि किसी ने हमें विशाल यादव को जंगल की तरफ ले जाते हुए देख लिया था और जब विशाल घर नही पहुंचा तो उसको घर वालो को बताया दिया । विशाल के घर वालो को भी हम लोगो पर शक हो गया था । हमे अहसास हो गया था कि यह लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगें और पुलिस हम लोगो को पकडेगी तब हम लोग इसी डर की वजह से अपने घर न जाकर इधर-उधर छिपते हुए घूम रहे थे। जिस मोटर साईकिल से मैं व सचिन पासी विशाल को लेकर गये थे वह मेरी मोटर साईकिल अभिनव यादव के पास है। मुझे नही पता अभिनव कहा है। और सचिन पासी ने बताया कि मोहित यादव मेरा बहुत पक्का दोस्त है इसके माध्यम से में गोलू , अभिषेक , अनिरुद्ध, अभिनव को भी जानता हूँ। मोहित यादव ने मुझसे कहा कि दोस्ती के लिए एक काम करना है, अनिरुद्ध मुझे रुपये देगा। इन रुपयो में से मैं तुझे भी कुछ रुपये दे दूगां, हम दोनों को विशाल यादव को अनिरुद्ध के पास लेकर जाना है । मैंने कहा ठीक है, फिर दिनांक 16.05.2024 की रात्रि में करीब 10 बजे मोहित यादव मुझे अपने साथ बाईक पर बैठाकर ले गये । इससे पहले कि विशाल यादव कुछ समझ पाता कि योजनाबद्ध हम लोगो में से चार लोगो ने विशाल यादव को पकड लिया तथा अनिरुद्ध व गोलू उर्फ कनिष्क ने अपने-अपने तमन्चे से विशाल यादव के सीने में सामने से एक-एक गोली मार दी। विशाल यादव मौके पर ही मर गया था, तब हम लोगो ने खेत में पास में ही स्थित एक गड्डे में विशाल की लाश को डालकर गड्डे के आस पास पडी मिट्टी को ऊपर से डालकर लाश को दबा दिया। और हम लोग मौके से भाग आये थे और इधर उधर छिपते छिपाते घूम रहे थे ।

अभियुक्तगण मोहित कुमार यादव व सचिन पासी उपरोक्त की निशादेही पर मृतक विशाल यादव उर्फ छोटू की लाश/शव को जंगल में ही खेत में बनी समाधी के पास करीब 25 कदम की दूरी वाहद ग्राम पर खेत में बने गड्डे में बरामद कर लिया । मृतक के शव की शनाख्त परिवारिजनों द्वारा विशाल यादव के रुप में की गई । अभियुक्तगण मोहित कुमार यादव व सचिन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण की तलाश थाना कटघर पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नामः-

1- मोहित कुमार यादव पुत्र छवीपाल सिंह नि0 गागन तिराहा सम्भल रोड थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

2- सचिन पासी पुत्र शशिकपूर नि0 सूरजनगर पीतलबस्ती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

अभियुक्त गण की निशादेही पर मृतक विशाल यादव का शव बरामद किया गया

वांछित अभियुक्तगणः-

1.अनिरुद्ध सिंह पुत्र विश प्रताप सिंह निवासी सूरजनगर पीतलबस्ती थाना कटघर ,मुरादाबाद

2.गोलू उर्फ कनिष्क पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी छोटी मंडी गुलाबबाडी थाना कटघर मुरादाबाद,

3.अभिषेक उर्फ यश पुत्र सुनील निवासी पीतलनगरी थाना कटघर मुरादाबाद,

4.अभिनव पुत्र सतवीर सिंह निवासी लंका बाग उत्सव मंडप के पास थाना कटघर मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0स0-258/2024 धारा 147/148/149/302/201 भादवि थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तगण अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक तेजवीर सिंह थाना कटघर,मुरादाबाद।

2. उ0नि0 श्री विमल किशोर थाना कटघर ,मुरादाबाद।

3. उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह उज्जवल थाना कटघर ,मुरादाबाद।

4. उ0नि0यूटी राहुल कुमार थाना कटघर मुरादाबाद।

5.उ0नि0यूटी मौ0 ताहिर थाना कटघर मुरादाबाद।

6.एसओजी प्रभारी व एसओजी टीम।